

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:-प.7(94) परि/नियम/मु0/2020/6646

जयपुर, दिनांक 29-03-2020

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में प्रस्तुत की गयी अंतरिम आवेदन संख्या 45883/2020, 45912/2010 तथा 48912/2020 में दिनांक 27.03.2020 को दिये गये आदेश (प्रति संलग्न) के आलोक में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- (1) वाहन विक्रेताओं (Dealers) द्वारा विक्रय किये गये तथा विक्रय किये जाने वाले वाहनों के दस्तावेजीकरण (Documentation) करने, आवश्यकतानुसार ऐसे वाहनों का मोटर वाहन कर जमा करने एवं बीमा करने के लिये उनके संबंधित कार्यस्थलों को लॉकडाउन से एक दिन के लिये छूट दिया जाना अपरिहार्य प्रतीत हो रहा है। अतः प्रदेश के सभी ऐसे डीलर्स जिनको विक्रित वाहनों के लिये उपरोक्त कार्य करने है, दिनांक 30.03.2020 को अधिकतम 3 व्यक्तियों के लिये ऑफिस खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस हेतु डीलर्स द्वारा संबंधित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को संलग्न प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जिसकी स्वीकृति उनके द्वारा प्रदान की जा सकेगी।
- (2) उक्त वर्णित अंतरिम आवेदनों के आवेदक FADA द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घोषित विक्रित किन्तु अपंजीकृत वाहनों की संख्या के सम्बन्ध में विक्रेताओं का विवरण का जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है जिसमें इस शपथ पत्र की प्रति राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों तथा परिवहन मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा ताकि दिनांक 30.04.2020 तक इनके पंजीयन को सटीकता से सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान स्थित परिक्षेत्र अर्थात् अलवर एवं भरतपुर जिलों में अविक्रत वाहनों का विक्रय एवं पंजीयन किसी भी स्थिति में दिनांक 31.03.2020 के बाद नहीं किया जायेगा।
- (4) FADA द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बताये गये अविक्रित वाहनों में से 10 प्रतिशत वाहनों को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 10 दिवस की अवधि में विक्रय किया जा सकेगा। इन 10 प्रतिशत वाहनों का विवरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय को FADA द्वारा सूचित किया जायेगा। इस सूचना की प्रति भी समस्त पंजीयन प्राधिकारियों एवं परिवहन मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- (5) TRC पर चल रहे वाहनों के लम्बित पंजीयन समस्त पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक किया जायेगा।
- (6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की अक्षरशः पालना FADA, समस्त वाहन डीलर्स तथा पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (2)।


(रवि जैन)


परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प.7(94) परि/नियम/मु0/2020/6647-6657

जयपुर, दिनांक 29-03-2020

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, मातृनीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त जिला कलैक्टर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण / कर्मचारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
8. श्री रजनीश,
9. श्री रजनीश, जनसंपर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु।
10. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

Special Permission for Automobile dealer Staff

Valid for:

Date:

Time:

Dealership Name:

Trade Certificate Number:

Location:

S.No.	Employee Name	Address	DL No.	Vehicle No
1				
2				

We confirm the above employees will only be going to our showroom for completion of BS-4 vehicles details.

For (Dealer Name)

Dealer Principle Name / Signature

Dated:

Approved By:

Valid for: Date /